न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्र.सं. 43/2023
जीसीएमएस नं. : 2023/50

1. नरसीराम
2. पन्नाराम
3. लीलूराम
4. हेमाराम

पुत्र लालू जाति मेघवाल निवासी 4 के.ए.एम. तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर राज.

बनाम

1. हरदेव पुत्र हरी सिंह जाति जटसिख निवासी 16 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
2. मनप्रीत सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 16 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर
4. बलदेव सिंह पुत्र हरीसिंह जाति जटसिख निवासी 16 जीबी ढाणी तहसील श्रीविजयनगर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–
1. श्री राममिलाप बिश्नोई, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री नवीन मिढा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2,4
3. एकपक्षीय कार्यवाही, अप्रार्थी सं. 1
4. राजपैरोकार

–:: आदेश ::–

दिनांक : 28.10.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि –

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि चक 16 जीबी मु.नं. 30 प.नं. 161/394 कि.नं. 6/1, 7 ता 12, 13/1 का 1.873है. नहरी भूमि में प्रवेश के प्रयोजनार्थ मु.नं. 161/395 का कि.नं. 5 ता 1 में गै.मु. स्वीकृतशुदा चालू रास्ता से आगे प्रार्थी की भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण सं. 1–2 की भूमि चक 16 जीबी मु.नं. 30 प.नं. 161/394 कि.नं. 21, 20 में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि प्रार्थी उक्त कि.नं. 21, 20 में से होते हुए कि.नं. 11 में प्रवेश करते है।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 4 को प्रा.पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) व धारा 151 सीपीसी के आधार पर पक्षकार संयोजित किया गया। अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। अप्रार्थी सं. 2 व 4 जरिए अधिवक्ता उपस्थित आए। जवाब अप्रार्थी सं. 2, 4 का पेश हुआ। तहसीलदार श्रीविजयनगर के मौका जांच रिपोर्ट तलब की गयी। स्वंय पीठासीन अधिकारी द्वारा विवादित स्थल का मौका निरीक्षण किया गया। तहसीलदार श्रीविजयनगर के पत्रांक/673 दिनांक 20.06.2023 के माध्यम से रिपोर्ट प्राप्त हुई।
3. अप्रार्थी सं. 2 व 4 जवाब प्रार्थना पत्र ... निवेदन किया कि प्रार्थीगण जो कि चक 4 के.ए.एम तहसील अनूपगढ के ... निवासी है जो इस मद में वर्णित अपने किलाजात ... नहीं करते है बल्कि हिस्सा ठेका पर देकर काश्त करवाते है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण ... मुरब्बा नम्बर 30 पत्थर नम्बर 161/394 में वर्णित भूमि के दक्षिण में स्थित खातेदार महल सिंह के मुरब्बा नम्बर 161/395 का किला नम्बर 5 ता 1 में गैर मुमकिन रास्ता आम स्वीकृतशुद्दा एंव मौका पर चालू है लेकिन अप्रार्थीगण संख्या 1 व

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.11.06 13:20:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्र.सं. 43 / 2023
जीसीएमएस नं. : 2023 / 50

1. नरसीराम
2. पन्नाराम
3. लीलूराम
4. हेमाराम

} पुत्र लालू जाति मेघवाल निवासी 4 के.ए.एम. तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर राज.

बनाम

1. हरदेव पुत्र हरी सिंह जाति जटसिख निवासी 16 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
2. मनप्रीत सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 16 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर
4. बलदेव सिंह पुत्र हरीसिंह जाति जटसिख निवासी 16 जीबी ढाणी तहसील श्रीविजयनगर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

1. श्री राममिलाप बिश्नोई, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री नवीन मिढा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2,4
3. एकपक्षीय कार्यवाही, अप्रार्थी सं. 1
4. राजपैरोकार

–:: आदेश ::–

दिनांक : 28.10.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि –

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि चक 16 जीबी मु.नं. 30 प.नं. 161 / 394 कि.नं. 6 / 1, 7 ता 12, 13 / 1 का 1.873है. नहरी भूमि में प्रवेश के प्रयोजनार्थ मु.नं. 161 / 395 का कि.नं. 5 ता 1 में गै.मु. स्वीकृतशुदा चालू रास्ता से आगे प्रार्थी की भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण सं. 1–2 की भूमि चक 16 जीबी मु.नं. 30 प.नं. 161 / 394 कि.नं. 21, 20 में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि प्रार्थी उक्त कि.नं. 21, 20 में से होते हुए कि.नं. 11 में प्रवेश करते है।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 4 को प्रा.पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) व धारा 151 सीपीसी के आधार पर पक्षकार संयोजित किया गया। अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। अप्रार्थी सं. 2 व 4 जरिए अधिवक्ता उपस्थित आए। जवाब अप्रार्थी सं. 2, 4 का पेश हुआ। तहसीलदार श्रीविजयनगर के मौका जांच रिपोर्ट तलब की गयी। स्वंय पीठासीन अधिकारी द्वारा विवादित स्थल का मौका निरीक्षण किया गया। तहसीलदार श्रीविजयनगर के पत्रांक / 673 दिनांक 20.0[illegible] रिपोर्ट प्राप्त हुई।
3. अप्रार्थी सं. 2 व 4 जवाब प्रार्थना पत्र [illegible] निवेदन किया कि प्रार्थीगण जो कि चक 4 के.ए.एम तह[illegible] निवासी है जो इस मद में वर्णित अपने किलाजात क[illegible] नहीं करते है बल्कि हिस्सा ठेका पर देकर काश्त करवाते है। प्रार्थीग[illegible] एंव अप्रार्थीगण के मुरब्बा नम्बर 30 पत्थर नम्बर 161 / 394 में वर्णित भूमि के दक्षिण में स्थित खातेदार महल सिंह के मुरब्बा नम्बर 161 / 395 का किला नम्बर 5 ता 1 में गैर मुमकिन रास्ता आम स्वीकृतशुद्दा एंव मौका पर चालू है लेकिन अप्रार्थीगण संख्या 1 व

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.11.06 13:20:02 IST
Reason: SelfAttested

2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज मुरब्बा नम्बर 30 पत्थर नम्बर 161/394 के किला नम्बर 21 व 20 में से पत्थर लाईन के साथ साथ दो बीघा लम्बाई में मौका पर रास्ता होने के तथ्य एवं किला नम्बर 11 में प्रवेश करने के तथ्य पूर्णतयः असत्य एवं गलत ब्यानी होने के कारण अस्वीकार है। पत्थर नम्बर 161/394 मुरब्बा नम्बर 30 में स्थित अप्रार्थी संख्या 1 या 2 के नाम दर्ज उनकी खातेदारी कृषि भूमि के किला नम्बर 21 व 20 भूमि में न तो कोई रास्ता मौका पर है और ना ही कोई रास्ता कभी रहा है और ना ही प्रार्थीगण किलाजात संख्या 21 व 20 की भूमि से होकर अपने किलाजात नम्बर 11 की भूमि में प्रवेश करते है। किलाजात नम्बर 21 या 20 की भूमि में अप्रार्थीगण की फसल खडी है जिसमें रास्ता होने का प्रश्न ही उत्पन नही होता है। मात्र मिथ्या वाद कारण बनाने के उद्देश्य से प्रार्थीगण के द्वारा वेग रूप से इस मद की रचना की गई है। वादाधीन मुरब्बा नम्बर 30 पत्थर नम्बर 161/394 के समस्त खातेदारान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किलाजात संख्या का विवरण इस प्रकार से है कि मुरब्बा नम्बर 30 पत्थर नम्बर 161/394 में किला नम्बर 1 ता 5 अप्रार्थी संख्या 4 बलदेव सिंह के नाम से किला संख्या 6/1, 7 ता 12, 13/1 प्रार्थीगण नरसीराम आदी के नाम से किला नम्बर 13/2, 14, 15 हरी सिंह के नाम से किला नम्बर 16 ता 20 अप्रार्थी संख्या 1 हरदेव सिंह के नाम से किला नम्बर 21 ता 25 अप्रार्थी संख्या 2 मनप्रीत सिंह के नाम से है। उपरोक्त वर्णित मुरब्बा नम्बर 30 पत्थर नम्बर 161/394 के किला नम्बर 13/2 में हरी सिंह पुत्र श्री हरनाम सिंह की ढाणी बनी हुई और इस ढाणी में आने जाने के लिऐ किला नम्बर 23 व 24 एंव 18 व 17 की बटलाईन के साथ अस्थाई रास्ता छोडा हुआ है जो किला नम्बर 13/2 में स्थित हरीसिंह पुत्र हरनाम सिंह की ढाणी तक चला आ रहा हैं और आगे इसी उक्त रास्ता का प्रयोग कर प्रार्थीगण अपने किला नम्बर 13/1 की भूमि में प्रवेश करते आ रहे है जब पूर्व से ही यह रास्ता चला आ रहा है तो प्रार्थीगण को किला नम्बर 13/2 के खातेदारान हरी सिंह के समस्त वारिसान को पक्षकार बनाकर एंव किला नम्बर 18–23 में पूर्व में चल रहे करीबन 10 फीट चौड़ा रास्ता को स्वीकृत करवाना हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिऐ था न कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के किला नम्बर 20–21 की भूमि से। चूंकि इसी उक्त मुरब्बा नम्बर 30 पत्थर नम्बर 161/394 के किला नम्बर 1 ता 5 के काश्तकार अप्रार्थी संख्या 4 बलदेव सिंह की भूमि में भी प्रवेश करने का कोई रास्ता नही होने के कारण यही रास्ता आगे प्रार्थीगण के किला नम्बर 8 से आगे स्वीकृत होकर किला नम्बर 1 ता 5 के काश्तकार अप्रार्थी बलदेव सिंह के किला नम्बर 3 में प्रवेश कर जाता है जो एक सरल, सुगम एंव सुविधाजनक रास्ता है जो वर्तमान में मौका पर चल रहा है तथा जो इस मुरब्बाजात के समस्त काश्तकारान को एक ही रास्ता की कडी में जोड़ता है। अप्रार्थीगण की भूमि में पृथक–पृथक रास्ते स्वीकृत हो जाने से अप्रार्थीगण की भूमि दो टुकड़ो में विभाजित हो जायेगी जिससे अप्रार्थीगण को आर्थिक एंव साम्पातिक नुकसान होगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण जो कि अप्रार्थीगण की भूमि के किला नम्बर 21 व 20 के रकबा से कतई किसी भी प्रकार का पृथक से कोई नया रास्ता स्वीकृत करवाने के विधिक अधिकारी नही हैं और प्रार्थीगण के द्वारा अपने हस्तगत प्रार्थना पत्र में मुरब्बा नम्बर 30 पत्थर नम्बर 161/394 के समस्त खातेदारान को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है। प्रार्थीगण का मौजूदा प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य हैं। पत्थर नम्बर 161/394 मुरब्बा नम्बर 30 में स्थित अप्रार्थीगण संख्या 1 या 2 के नाम दर्ज उनकी खातेदारी कृषि भूमि के किला नम्बर 21 व 20 भूमि में न तो कोई रास्ता मौका पर है और ना ही कोई रास्ता कभी रहा है और ना ही प्रार्थीगण किलाजात संख्या 21 व 20 की भूमि से होकर अपने किलाजात नम्बर 11 की भूमि में प्रवेश करते है और जब मौका पर कोई रास्ता अप्रार्थीगण के किला नम्बर [redacted]–20 में कभी है ही नहीं तो उसे बन्द या बाधित करने का प्रश्न ही उत्पन नही होता है और ना ही अप्रार्थीगण के किला नम्बर 20–21 की भूमि में कोई सरल एंव सुगम रास्ता हो सकता

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.11.06 13:20:02 IST
Reason: SelfAttested

है। प्रार्थीगण को वैकल्पिक एंव सुगम मार्ग उपलब्ध होने के कारण प्रार्थीगण का मौजूदा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) निरस्त होने के योग्य हैं और अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की कृषि भूमि के किला नम्बर 20–21 की भूमि में से कतई कोई नया रास्ता विधिक रूप से कायम किया जाना न्यायोचित नहीं है और ना ही प्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की भूमि के किला नम्बर 20–21 में से किसी भी प्रकार से कोई रास्ता स्वीकृत करवाने के कतई विधिक अधिकारी है। प्रार्थीगण द्वारा नाहक तंग परेशान करने की गर्ज से मौजूदा प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध माननीय न्यायालय में वेग तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जो काबिले निरस्ती के है। प्रार्थीगण माननीय न्यायालय के समक्ष क्लीन हैण्ड से नही आये है और समस्त वास्तविक तथ्यो को छिपाकर मौजूदा प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में वेग तथ्यो के आधार पर अप्रार्थीगण को नाहक तंग परेशान करने की गर्ज से प्रस्तुत किया गया है जो प्रथम दृष्टया काबिले निरस्ती के है। प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आने जाने व कृषि औजार लाने ले जाने के लिऐ सुगम एंव सरल रास्ता मौका पर इसी मुरब्बाजात के किला नम्बर 23 व 24 एंव 18 व 17 की बटलाईन के साथ किला नम्बर 13/2 तक चल रहा है जिसे आगे प्रार्थीगण अपने किला नम्बर 13/1 की भूमि में प्रवेश कर रहे है और इस अस्थाई रास्ता को प्रार्थीगण रास्ता में आयी भूमि के सामान भूमि देकर स्वीकृत करवा सकते है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित वैकल्पिक मार्ग के उपलब्ध रहते एक नया रास्ता अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के किला नम्बर 20–21 की भूमि में कायम नही किया जा सकता ह और ना ही न्यायोचित है। प्रार्थीगण का हस्तगत प्रार्थना पत्र विधिक प्रावधानो के विपरित प्रस्तुत हुआ होने के कारण काबिले निरस्ती के है। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

4. तहसीलदार श्रीवियजनगर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को रास्ते की परम आवश्यकता है। प्रार्थीगण को जोत तक पंहुचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी अब तक कि.नं. 13,18,23 में चल रहे रास्ते का उपयोग कर रहा था कि.नं. 13/2 में अप्रार्थी सं. 2 मनप्रीत सिंह पुत्र बलदेव सिंह की ढाणी बनी है। जोत तक पंहुचने हेतु कि.नं. 20 व 21 में रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है जो निकटतम एवं लघुतम मार्ग है।

5. बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण निवेदन किया कि प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागमन हेतु कोई स्वीकृतशुदा एवं वैकल्पिक मार्ग नहीं है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वांछित मार्ग स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। प्रार्थीगण द्वारा कभी भी कि.नं. 21–20 में से वांछित मार्ग से आवागमन नहीं किया गया है। किला नम्बर 13/2 में स्थित हरीसिंह पुत्र हरनाम सिंह की ढाणी बनी हुई है जिस तक रास्ता चालू है। किला नम्बर 23 व 24 एंव 18 व 17 की बटलाईन के साथ किला नम्बर 13/2 तक रास्ता चल रहा है जिसे आगे प्रार्थीगण अपने किला नम्बर 13/1 की भूमि में प्रवेश कर रहे हैं। प्रार्थीगण की भूमि के उपर अप्रार्थी सं. 4 की भूमि है जिन्हें भी अपनी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता की आवश्यकता है, यदि उक्त चालू रास्ता को स्वीकार किया जाता है तथा आगे प्रार्थीगण की भूमि कि.नं. 8 में रास्ता स्वीकार किया जाना उचित है जिससे सभी काश्तकारों को रास्ता की सुविधा मिल पाएगी। अप्रार्थीगण की भूमि में पहले से रास्ता चल रहा है इसलिए कि. नं. 21 व 20 मे नया रास्ता स्वीकार [illegible] जाना उचित नहीं है। ऐसे में प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु [illegible] किया।

6. बहस वकील उभयपक्ष प[illegible] का अवलोकन किया। रिपोर्ट तहसीलदार एव रिकॉर्ड [illegible] नजरी नक्शा का गहनता से परिशीलन किया। अप्रार्थीगण द्वारा मुख्य रूप से आपत्ति प्रकट की गयी है कि कि.नं. 13/2 में ढाणी बनी है जहा पहुंच हेतु किला नम्बर 23 व 24 एंव 18 व 17 की बटलाईन के साथ किला नम्बर 13/2 तक रास्ता चल रहा है जिसे

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.11.06 13:20:02 IST
Reason: SelfAttested

आगे प्रार्थीगण अपने किला नम्बर 13/1 की भूमि में प्रवेश कर रहे है। प्रार्थीगण की भूमि के उपर अप्रार्थी सं. 4 की भूमि है जिन्हें भी अपनी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता की आवश्यक्ता है और प्रार्थीगण की भूमि कि.नं. 8 में रास्ता स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थी सं. 4 को भी रास्ता उपलब्ध हो सकेगा। प्रार्थीगण द्वारा कि.नं. 20–21 में की जा रही रास्त की मांग अव्यवहारिक है चूंकि अप्रार्थीगण की भूमि में से पहले से रास्ता चला आ रहा है, इस स्थिति में मात्र प्रार्थीगण की सुविधा हेतु अन्य रास्ता स्वीकार नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागमन हेतु कोई स्वीकृतशुदा मार्ग नहीं है, वैकल्पिक मार्ग का अभाव है तथा चाहा गया रास्ता ही निकटतम मार्ग है। यदि अप्रार्थी सं. 4 को मार्ग को आवश्यक्ता है तो वे अपनी खातेदारी भूमि हेतु पृथक से आवेदन हेतु स्वंतत्र है लेकिन अप्रार्थी के उक्त कथनों के आधार पर प्रार्थीगण की रास्ते की आवश्यक्ता हो नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। प्रार्थीगण द्वारा वांछित मार्ग को ही स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया है। अप्रार्थीगण द्वारा सुझाये गये मार्ग को स्वीकृत करने पर सहमति प्रकट नहीं की है। ना ही अप्रार्थीगण द्वारा वर्णित रास्ता रिकार्ड में स्वीकृत है। प्रार्थीगण द्वारा वांछित मार्ग ही निकटतम मार्ग है। ऐसे में न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि रास्ते की परम आवश्यक्ता है व प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक मार्ग का अभाव है। प्रार्थीगण द्वारा की जा रही रास्ता की मांग सुखाधिकार के लिए नहीं होकर अत्यांतिक आवश्यक्ता की श्रेणी में आती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–: आदेश :–

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी सं. 1 व 2 की भूमि चक 16 जीबी मु.नं. 30 प.नं. 161/394 कि.नं. 21, 20 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा पश्चिमी पासा पत्थर लाईन के साथ साथ रास्ता स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण सं. 1–2 को रास्ते में आई भूमि की एवज में रास्ता में आई भूमि की डीएलसी दर की दो गुणा राशि मुआवजा के तौर पर अदा करेगा। तहसीलदार श्रीविजयनगर रास्ता में आई भूमि पर प्रतिकर राशि की गणना कर नियमानुसार प्रार्थीगण से राशि जमा करवा अप्रार्थी सं. 1 व 2 को उनके अंश अनुसार भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें एवं स्वीकृतशुदा गैर मु रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीविजयनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 28.10.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शकुन्तला
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.11.06 13:20:02 IST
Reason: SelfAttested